

प्रपत्र VII

आदेश-पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

8.9.22

माननीय विशेष न्यायाधीश उत्पाद सहरसा के न्यायालय में,
केस नं० उत्पाद थाना कांड सं०-धारा 37 के अन्तर्गत 513 / 2022 राज्य बनाम
बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

1. अभियुक्त का नाम- आशीष शर्मा
2. उम्र- 30 वर्ष पेशा नहीं
3. पिता का नाम- मालमोहन शर्मा
4. पता- हाट सोनवर्मा राज नं० 10-13 थाना- सोनवर्मा राज जिला- सहस्र
5. गिरफ्तार की तिथि- 07-09-2022 समय- 10:31 PM स्थान- राज सोनवर्मा
6. उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जाँच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथि- 08-09-2022

उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जाँच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मैं एतद् द्वारा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरुद्ध आरोप है कि उसने दिनांक-07-09-22 को एल्कोहल का उपभोग किया था और वह राज सोनवर्मा (स्थान) में पकड़ा गया। अभियुक्त की श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने एल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैंने उसका बयान दर्ज किया है।

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने की अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मैं प्रथमदृष्टया संतुष्ट हूँ कि उसके विरुद्ध आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-37 के अधीन- 2500/- रुपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होने पर- 15 दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

विशेष न्यायाधीश उत्पाद,
सहरसा।

तिथि :- 08-09-2022

स्थान :- सहस्र